अध्याय–I
प्रस्तावना

अध्याय–I : प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में सचिवालय स्तर पर 54 विभाग हैं जिनके प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव होते हैं, उनकी सहायता उनके अधीन आयुक्तों/संचालकों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है। इनमें से 35 सरकारी विभागों एवं इन विभागों के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। इन विभागों को लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया था एवं मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं इसके विरूद्ध वास्तविक आंकड़ों की स्थिति **तालिका–1.1** में दी गई है।

तालिका–1.1: वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	18,220.45	16,228.64	20,577.43	17,705.14	22,295.27	20,590.93	24,243.56	22,365.11	32,626.15	25,700.26
सामाजिक सेवाएं	20,277.33	20,296.94	24,992.18	24,375.47	30,100.70	27,768.21	42,092.49	32,067.15	43,217.07	42,650.93
आर्थिक सेवाएं	12,208.06	12,964.91	14,251.77	16,823.35	17,465.48	16,971.33	27,796.22	23,715.12	27,180.85	25,528.52
सहायतानुदान एवं अंशदान	3,217.65	3,203.22	3,722.12	4,064.57	4527.20	4,539.29	4,881.55	4,225.44	5,810.85	5,890.99
योग(1)	**53,923.49**	**52,693.71**	**63,543.50**	**62,968.53**	**74,388.65**	**69,869.76**	**99,013.82**	**82,372.82**	**1,08,834.92**	**99,770.70**
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	8,721.93	9,055.16	10,820.22	11,566.89	11,113.61	10,812.52	14,143.36	11,877.68	18,139.56	16,835.47
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	3,200.21	15,760.56	5,667.26	5,378.25	6,444.60	5,077.52	3,883.82	12,534.61	4,224.58	3,157.91
अंतर्राज्यीय परिशोधन	--	3.70	--	7.02	--	2.36	--	0.98	--	1.94
लोक ऋण का पुनर्भुगतान*	6,800.10	3,149.79	7,482.72	3,583.94	8,017.43	4,004.65	9,177.00	4,920.52	8,773.17	4,860.36
आकस्मिकता निधि	100.00	100.00	200.00	--	200.00	--	200.00	301.08	500.00	-
लोक लेखे संवितरण	1,53,133.63	73,279.04	2,24,574.20	82,735.57	31,3354.87	93,063.99	2,85,344.25	1,08,165.30	2,15,110.50	1,28,336.75
अन्तिम रोकड़ शेष	-78.79	7,775.88	-107.22	7,074.81	-123.16	4,477.03	-76.82	5,401.96	-513.02	10,898.72
योग (2)	**1,71,877.08**	**1,09,124.13**	**2,48,637.18**	**1,10,346.48**	**339007.35**	**117438.07**	**312671.61**	**143202.13**	**2,46,234.79**	**1,64,091.15**
महायोग (1+2)	**2,25,800.57**	**1,61,817.84**	**3,12,180.68**	**1,73,315.01**	**413396.00**	**187307.83**	**411685.43**	**225574.95**	**3,55,069.71**	**2,63,861.85**

*** अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्षण के अंतर्गत निवल लेन–देनों को छोड़कर**

(स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज)

1.2 राज्य शासन के संसाधनों का अनुप्रयोग

वर्ष 2014–15 के दौरान, ₹ 1,06,787 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य का कुल व्यय (राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिम) ₹ 1,19,766 करोड़ था। विगत वर्ष के राजस्व व्यय (₹ 82,373 करोड़) की तुलना में वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 99,771 करोड़) में 21.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.30 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 के दौरान पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 41.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 68.48 प्रतिशत था एवं इसमें विगत वर्ष की तुलना में 22.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में 11 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में 2011–12 से 2015–16 के दौरान 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ोत्तरी हुई।

1.3 सतत बचतें

12 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों 2011–12 से 2015–16 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की सतत बचतें हुई थी जिसे **तालिका–1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका–1.2: अनुदानों / विनियोगों जिनके अंतर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान सतत बचतें हुई

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान / विनियोग संख्या एवं नाम	बचतों की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठकों में)				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व–दत्तमत						
1	16–मत्स्यपालन	13.04 (21.53)	12.25 (21.43)	17.77 (26.78)	26.88 (36.16)	19.11 (27.19)
मुख्य शीर्ष 2405–मत्स्यपालन के अंतर्गत हुई बचत						
2	31-योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	386.39 (84.12)	211.54 (75.54)	121.62 (50.42)	195.23 (73.02)	81.14 (54.35)
मुख्य शीर्ष 3451–सचिवालय–आर्थिक सेवाएं एवं 3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के अंतर्गत हुई बचतें						
3	38– आयुष	76.08 (30.99)	136.12 (39.55)	169.39 (44.55)	234.29 (50.87)	117.29 (28.63)
मुख्य शीर्ष 2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत हुई बचत						
4	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय–कमांड क्षेत्र विकास	109.64 (97.52)	2.67 (51.84)	3.82 (50.73)	6.22 (51.53)	6.24 (53.70)
मुख्य शीर्ष 2705–कमांड क्षेत्र विकास के अंतर्गत हुई बचत						
5	61- बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	70.36 (47.28)	107.00 (67.10)	180.56 (90.28)	113.16 (78.82)	15.86 (27.66)
मुख्य शीर्ष 2405– मत्स्यपालन एवं 2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत हुई बचतें						
राजस्व– प्रभारित						
6	06-वित्त	14.23 (96.28)	12.93 (52.18)	13.24 (89.64)	12.40 (83.90)	15.53 (89.87)
मुख्य शीर्ष 2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ के अंतर्गत हुई बचत						
पूंजीगत –दत्तमत						
7	06- वित्त	1,501.78 (92.80)	1,374.53 (95.53)	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)	137.26 (75.81)
मुख्य शीर्ष 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय एवं 6075–विविध सामान्य सेवाओं हेतु कर्ज के अंतर्गत हुई बचतें						
8	27-स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	1.12 (25.00)	13.06 (49.73)	34.85 (71.41)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)
मुख्य शीर्ष 4202– शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर अन्य पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई बचत						
9	58-प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50 (85.62)	2.50 (76.69)	2.50 (100)	2.50 (100)	3.00 (100)
मुख्य शीर्ष 6245–प्राकृतिक आपदा के लिए राहत हेतु कर्ज के अंतर्गत हुई बचत						
10	61– बुंदेलखण्ड पैकेज संबंधित व्यय	258.29 (41.71)	249.71 (35.44)	211.00 (51.63)	120.56 (32.65)	62.41 (22.00)
मुख्य शीर्ष 4401–फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701– मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702–निम्न सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय एवं 4705 कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई बचतें						

11	67-लोक निर्माण–भवन	41.39 (38.11)	45.79 (32.98)	91.29 (49.98)	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 4210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय एवं 4853–अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुईं बचतें						
पूंजीगत–प्रभारित						
12	लोक ऋण	3,650.31 (53.68)	3,903.17 (52.13)	4,018.05 (50.08)	4,256.48 (46.38)	3,912.80 (44.60)
मुख्य शीर्ष 6003–राज्य सरकार के आंतरिक ऋण एवं 6004– केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम के अंतर्गत हुईं बचतें						

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

1.4 निधियों का राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरण

वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे ₹ 1,239.68 करोड़ अंतरित किये। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषालयों से नहीं होकर गुजरती हैं अतः ये निधियाँ सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं।

1.5 भारत सरकार से सहायतानुदान

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान **तालिका–1.3** में दिये गये हैं।

तालिका-1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर अनुदान	2,114	333	3,540	4,425	3,990
राज्य आयोजना योजना के लिए अनुदान	4,215	7,099	5,536	9,011	13,371
केन्द्रीय आयोजना योजना के लिए अनुदान	364	500	153	1,263	359
केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिए अनुदान	3,236	4,108	2,548	2,893	610
विशेष आयोजना योजना के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
योग	**9,929**	**12,040**	**11,777**	**17,592**	**18,330**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–)का प्रतिशत	9.39	21.26	(-) 2.18	49.38	4.19
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	**15.86**	**17.10**	**15.55**	**19.85**	**17.37**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि की गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गयी वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों के सरोकार एवं विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार करते हुए जोखिम के आंकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम आंकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा का निर्णय किया जाता है एवं वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख को एक माह में उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जैसे ही उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निराकरण हो जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्यवाही का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा राज्य के 1019 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं 92 स्वायत्त निकायों (स्थानीय निकायों को छोड़कर) की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, तीन निष्पादन लेखापरीक्षा, तीन अनुपालन लेखापरीक्षा एवं एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा भी की गईं।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शासन की उत्तरदायित्वता का अभाव

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, लेन देनों की नमूना जाँच द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण एवं निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकरण एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पता लगी, महत्वपूर्ण अनियमितताओं का मौके पर निराकरण नहीं होता है, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को निरीक्षण किए गये कार्यालय के प्रमुख को, एक प्रति उससे उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते हुए भेजी जाती है।

कार्यालय प्रमुखों एवं उससे उच्च अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर अपना अनुपालन महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश को प्रेषित करें। कार्यालय महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा गंभीर अनियमितताओं को नियमित रुप से विभागाध्यक्ष की जानकारी में भी लाया जाता है।

हमने देखा कि 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में मार्च 2016 तक जारी किए गए सामाजिक क्षेत्र विभागों से संबंधित 7,378 निरीक्षण प्रतिवेदन (23,555 कंडिकाएं) एवं सामान्य क्षेत्र विभागों से संबंधित 1,662 निरीक्षण प्रतिवेदन (4,619 कंडिकाएं) निराकरण हेतु लंबित थे। इन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट–1.1*** में दिया गया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, विभागीय लेखापरीक्षा समिति की छः बैठकें हुई जिनमें 140 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 893 कंडिकाओं का निराकरण किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर त्वरित एवं उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित किये जाने हेतु ध्यान दे।

1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में और चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनेक महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है जिनका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा एवं कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु उपयुक्त अनुशंसाएं देने तथा नागरिकों को सेवा देने में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों को उत्तर छः सप्ताह में भेजना आवश्यक होता है। यह उनके ध्यान में लाया गया था कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में, जो कि मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत की जाएगी, इन कंडिकाओं के सम्मिलित किए जाने

की संभावना के मद्देनजर प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित करना वांछनीय होगा। उन्हें महालेखाकार के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप प्रतिवेदन पर बैठक करने की भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबंधित अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए, सात निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा/अनुवर्ती लेखापरीक्षा एवं 18 प्रारुप कंडिकाओं को संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किया गया था। सभी सात निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुपालन लेखापरीक्षा/अनुवर्ती लेखापरीक्षा एवं 13 कंडिकाओं पर शासन के उत्तर प्राप्त हो चुके है।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया के नियमानुसार प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी चाहे इनकी लोक लेखा समिति द्वारा जाँच की गयी हो या नहीं। उन्हें राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई कार्रवाईयां/प्रस्तावित की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी थीं।

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामान्य एवं सामाजिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र से संबंधित कुल 44 कंडिकाओं में से 30 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2016) जिसका विवरण **तालिका–1.4** में दिया गया है।

तालिका–1.4: सामान्य एवं सामाजिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं पर प्राप्त विभागीय उत्तरों की स्थिति

वर्ष	विभाग	31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में लम्बित विभागीय उत्तर	राज्य विधानसभा में प्रस्तुति का दिनांक	विभागीय उत्तर प्राप्त होने का निर्धारित दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013-14	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01	22-07-2015	22-10-2015
	महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग	01		
	महिला एवं बाल विकास विभाग	01		
	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	01		
2014-15	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	03	17-03-2016	17-06-2016
	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	04		
	उच्च शिक्षा विभाग	03		
	सामाजिक न्याय विभाग	01		
	अनुसूचित जाति कल्याण एवं आदिम जाति कल्याण विभाग	04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	01		
	जेल विभाग	01		
	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	01		
	स्कूल शिक्षा विभाग	03		
	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	01		
	गृह विभाग	02		
	महिला एवं बाल विकास विभाग	01		
	आयुष विभाग	01		
	योग	**30**		

1.10 राज्य विधान सभा में स्वायत्तशासी निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना की गई है। राज्य में सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित चार स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। इन निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेन देनों के सत्यापन, प्रचालन गतिविधियों एवं लेखों, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रक्रिया तथा प्रणाली की समीक्षा इत्यादि के लिए की जाती है। लेखापरीक्षा सौंपे जाने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति **तालिका–1.5** में दर्शायी गई है।

तालिका–1.5: स्वायत्त निकायों के लेखे को प्रस्तुत करने की स्थिति

स. क्र.	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए थे	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	प्रस्तुतीकरण में विलंब[1]/लेखों का प्रस्तुत न किया जाना (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम के अनुसार	2014–15	2013–14	2013–14	2014–15 (08 माह) 2015–16 (03 माह)
2	म.प्र. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा गया	2011–12	2011–12	वर्ष 2011–12 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित।	2011–12 (23 माह)

1. विलम्ब की अवधि लेखाओं की प्राप्ति की निर्धारित दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 जून 2016 तक ली गयी है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम के अनुसार	2012–13	–	–	1997–98 (205 माह) से 2012–13 (25 माह)
4	म.प्र. आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड, भोपाल	2012–13 से 2016–17 तक	2015–16	2014–15	25.07.2016	2014–15 (04 माह)

जैसा कि **तालिका– 1.5** से देखा गया, कि मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में 205 माह तक का अत्यधिक विलम्ब हुआ था एवं वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक के लेखे इकाई से अगस्त 2015 में प्राप्त किये गये थे।

राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अस्वाभाविक विलम्ब के परिणामस्वरुप इन निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया गया है, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी हुई, इसके साथ ही स्वायत्तशासी निकायों में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।